

3547

63

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013 Order

Dated Shimla-171002, the

Sub :- Diversion of 0.31 hectares of forest land in favour of Mining Officer, Distt. Sirmour at Nahar for the construction of Weigh Bridge along with facilities of Check Post at Mauza Barwas, within the jurisdiction of Renukaji Forest Division, District Sirmour, Himachal Pradesh.

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-HPB217/2013 - CHA दिनांक 01.08.13 के परिणामस्वरूप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 0.31 hectare वन भूमि को ~~S.S. Sanyal Sharma~~ Mining Officer, District Sirmour, HP को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- 2 कम से कम वृक्ष कटवाये जायेंगे जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार सैंतीस वृक्षों से अधिक नहीं होगी।
- 3 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Sataun C-3 में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये 1,15,150/- (एक लाख पंद्रह हजार एक सौ पचास मात्र) की राशि से कुल 0.62 हेक्टेयर वन भूमि में पौधे लगाकर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- 4 साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तथा वन क्षेत्र की स्थिरता के लिये सभी सुरक्षा ऊपाय / पूर्व ऊपाय दृढ़तापूर्वक किये जायेंगे।
- 5 कार्य शुरू करने से पूर्व वन विभाग द्वारा प्रस्ताव से सम्बन्धित प्राप्त शिकायत का निपटारा किया जायेगा तथा इसकी सूचना भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ को अवगत करवाया जायेगा।
- 6 सीमंट कंक्रीट के खम्भों जिन पर आगे तथा पीछे कम संख्या तथा एक खम्बे से दूसरे खम्बे की दूरी अंकित हों, प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा परियोजना खर्च पर पट्टे क्षेत्र का सीमांकन किया जाये।
- 7 No labour camp shall be established on the forest land.
- 8 The User Agency shall provide alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.
- 9 The user agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the flora and fauna available in the area.
- 10 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

-2-

APCCF (FCA)

2750
11/9/13

PCCF
9/3

11 A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector-cum- Deputy Commissioner, Sirmour, District Sirmour HP.

11 यदि कोई अन्य संबंधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)

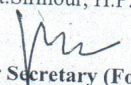
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Dated, Shimla-171001 the, 9-9-13

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA)

is forwarded to :-

1. Assistant Inspector General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110510.
2. Additional PCCF (Central), Regional Office, Govt. of India, Ministry of Environment and Forests, Bays No.24- 25, Sector-31 -A, Chandigarh- 160030.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer -cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001,
5. The Deputy Commissioner, Sirmour, Distt, Sirmour, Himachal Pradesh.
6. Sh. Sanjay Sharma, Mining Officer, District Sirmour at Nahan, HP.
7. CCF, Nahan /DFO, Renukaji Forest Division, Distt.Sirmour, H.P.
8. Guard File.


Under Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.